तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनसिंह बनाम लो.सू.अ. (नायब तहसीलदार औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 112/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.08.20	अपीलार्थी चैनसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.06.20 में उसके द्वारा (1) 17 मार्च, 2020 को जो प्रार्थना पत्र दिया कटाण रास्ता की वास्तविक जगह जमीन पर चिन्हित कर पत्थरगढी करावे व रास्ता मौके पर खुलवाने की जो कार्यवाही की है उसकी प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (नायब तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (नायब तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 368 दिनांक 18.08.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें ब[illegible] गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक/री[illegible]/सू. अ.अ./2020/297 दिनांक 21.07.2020 के द्वारा डाक [illegible] चूंकि अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अत[illegible] निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित [illegible] सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.10.13 17:45:41 IST
Reason: SelfAttested